राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जे.एन.मथुरिया(आर.ए.एस.)

आर.सी.एम.एस 2012/00026
अपील संख्या 44/2012 (आर.टी.ए. 223)

उनवान

1.बुद्धी पुत्र रामसरन जाति ब्राहम्ण निवासी मौरोदा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (राज.)

........................अपीलांटस

बनाम

1. जगदेव शर्मा पुत्र लक्ष्मण जाति ब्राहम्ण निवासी मौरोदा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (राज.) ....रेस्पो असल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब कुम्हेर जिला भरतपुर। ....रेस्पो प्रतिवादी
3. लक्ष्मण पुत्र रामसरन जाति ब्राहम्ण निवासी मौरोदा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (राज.)

...................तरतीवी रेस्पो

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर कुम्हेर,भरतपुर दिनांक 26.12.2011 प्रकरण संख्या 305/2008 उनवानी जगदेव शर्मा बनाम लक्ष्मण आदि।

उपस्थिति :– वकील अपीलांट श्री एम.एल.तिवारी एड.

वकील रेस्पो0 श्री नीरपाल एड.

निर्णय दिनांक 10.09.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 175/0.21, 176/0.13, 178/0.21, 179/0.33, 180/0.04, 186/0.10, 187/0.18 वाके ग्राम मौरोदा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर में स्थित

272/0.55, 274/0.55, 286/0.15, 287/0.26

जे० एन० मथुरिया
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

जे० एन० मथुरिया
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

है। जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

उभयपक्ष बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुये प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय के राजीनामें के आधार पर वाद निर्णित किया है। जबकि ऐसा कोई राजीनामा अपीलार्थी के पूर्वज द्वारा नहीं दिया गया हैं, और ना ही राजीनामा वैध हैं। अधीनस्थ न्यायालय को नियम 19 से 21 की पालना करते हुए कुरे बनाने चाहिए थे। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने फर्जी/कूटरचित/शून्य राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया है अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार विभाजन हेतु प्रतिप्रेषित किया जावें।

विवादित आराजी बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। विवादित आराजी को तरतीवी प्रत्यर्थी नं रिलिज्ड डीड के जरिये अपीलार्थी को दी थी। जिसे शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। मियाद के बिन्दुओं पर प्रकट किया है। अपीलार्थी को डिक्री का ज्ञान 04.06.12 को हुआ था क्यों कि उसे कोई सम्मन तामिल नहीं हुए थे अतः जानकारी की तिथी से प्रकरण को मियाद के भीतर शामिल किया जावे।

बचाव में वकील प्रत्यर्थी नें निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नें सभी तथ्यों पर विचार कर निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है एवं जमावंदी सं0 2026 में विवादित आराजी उसके पिता रामसरन के नाम दर्ज है। अतः अपील खारिज कि जावे। अपने पक्ष के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

1. 2011(1) डी.एन.जे. (राज.) पेज सं0 441
2. 2018(1) आर.आर.टी. पेज सं0 534
3. आर.आर.टी. 1992 पेज सं0 608
4. आर.आर.डी. 2017 पज सं0 278
5. 2008 (2) आर.आर.टी. पेज सं0 850
6. 2015 (1) आर.आर.टी. पेज सं0 474
7. 2014 (1) आर.आर.टी पेज सं0 509
8. आर.आर.डी. 1988 पेज सं0 391

जे० एन० मथुरिया
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

बहस उभयपक्ष एवं दस्तावेज से विवादित आराजी पुश्तैनी साबित है एवं रिलीज डीड बाबत् राजस्व मंडल की खण्डपीठ नें अपने निर्णय दिनांक 3.7.2018 जो अपील संख्या 1368/2004 मे दिया गया है मे पुनः तथ्यों से स्पष्ट कर दिया है। कि रिलीज डीड के माध्यम से अधिकार स्थानांन्तरित नहीं किये जा सकते। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 10.09.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

नोट:- फैसला व डिक्री में दिनांक 10.9.18 में खसरा नं० 272/0.55, 274/0.55, 286/0.10, 287/0.26 वाके ग्रा० मोरोली तह० कुम्हेर की पालना भराई जावे।

जे० एन० मथुरिया
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

डिकरी व सीगे अपील

(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D&1)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

व इजलास श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर०ए०एस०)

आर.सी.एम.एस 2012/00026

अपील संख्या 44/2012 (आर.टी.ए. 223)

उनवान

1.बुद्धी पुत्र रामसरन जाति ब्राहम्ण निवासी मौरोदा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (राज.)
.........................अपीलांटस

बनाम

1. जगदेव शर्मा पुत्र लक्ष्मण जाति ब्राहम्ण निवासी मौरोदा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (राज.)
.........................रेस्पो असल

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब कुम्हेर जिला भरतपुर।
...........................रेस्पो प्रतिवादी

3. लक्ष्मण पुत्र रामसरन जाति ब्राहम्ण निवासी मौरोदा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर (राज.)
...................तरतीवी रेस्पो

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर कुम्हेर,भरतपुर दिनांक 26.12.2011 प्रकरण संख्या 305/2008 उनवानी जगदेव शर्मा बनाम लक्ष्मण आदि।

यह अपील व तारीख 10.09.18 व हमारे श्री एम.एल.तिवारी मिनजानिब अपीलान्ट व श्री नीरपाल सिंह रेस्पोडेन्ट समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं।

(खर्चा अपील .का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग...........)रूपये......अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का....................अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.09.18 को जारी की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

जे० एन० मथुरिया
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट!- फैसला व डिक्री में दिनांक 10.9.18 में ख.नं. 272/0.55 274/0.55, 286/0.15, 287/0.26 ग्रा. मौरोदा तह. कुम्हेर जिला भरतपुर पढ़ा जावे।

जे० एन० मथुरिया
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)